नम्बर व तारिख
जो इस हुक्म की
में जारी हुए

आर0टी0ए

सुगन कंवर व अन्य

19.12.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी सख्या 1 से 5 के अभिभाषक उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अभिभाषक के द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते प्राथमिक आपत्ति एंव शीघ्र सुनवाई बाबत वा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल मिसल हो। प्रतिवादी/ प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा प्रार्थना मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण के द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र की प्रस्तुति की दिनांक के पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमति रतन कवंर पुत्री श्री चतर सिंह पत्नि श्री हरिसिंह का निधन हो चुका है तथा वादीगण के द्वारा उक्त राजस्व वाद मृतक के विरूद्व प्रस्तुत करने के कारण उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित वाद की संज्ञा मे आने के कारण उक्त वाद प्राथमिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है साथ ही प्रतिवादी अभिभाषक के द्वारा दिनांक 19.12.2017 को प्रस्तुत जवाब दावे की ओर ध्यान आकृर्षित करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जवाब दावे के पैरा संख्या 2 मे जवाब कुनिन्दा ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमति रतन कवंर पुत्री श्री चतर सिंह का निधन हो चुका है इसके उपरान्त भी वादीगण के द्वारा मृतक के सम्बन्ध मे कोई विधिक कार्यवाही नही की गई है। अतः उक्त वाद मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत किये जाने के कारण विधि द्वारा वाद की संज्ञा मे आने के कारण वाद निरस्त किये जाने योग्य है। अतः वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2018 के साथ प्रस्तुत नामान्तरण संख्या 431 दिनांक 06.09.2016 व ग्राम पंचायत कायमपुरा द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2015 के अवलोकन से प्रतिवादी संख्या 6 का स्वर्गवास होना स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 6 को स्वर्गवास पूर्व मे ही हो चुका है। वादी अभिभाषकगण को न्यायालय द्वारा पर्याप्त समय व अवसर दिये जाने के उपरान्त भी आदिनांक तक वादी अभिभाषक के द्वारा मृतक प्रतिवादी संख्या 6 बाबत कोई विधिक कार्यवाही नही की गई है। अतः वादी का वाद अबेट हो जाने वादी इस राजस्व वाद से किसी भी प्रकार का अनुतोष न्यायालय से प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है लेकिन वादग्रस्त आराजियात बाबत वादीगण द्वारा नवीन वाद/कार्यवाही किये जाने पर उक्त आदेश का प्रभाव उस पर शून्य रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर मु0
अजमेर